

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।

संबंधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी

दूरभाष : 2442801, 2442786, 2442722

फैक्स : 2442787

जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:2010/गोप0/2048

दिनांक : 18/11/2010

प्रेषक :

कुलसचिव

जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म0प्र0)

// सूचना //

विभिन्न संस्थाओं से विश्वविद्यालय में छात्रों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्राप्त होते हैं। प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु रुपये 200/- प्रति प्रमाण-पत्र की दर से सत्यापन शुल्क निर्धारित है। शैक्षणिक प्रमाण-पत्र पर छात्र का अनुक्रमांक, वर्ष एवं विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक आवश्यक है। शुल्क प्राप्त होने के उपरांत ही सत्यापन पत्र जारी किया जायेगा।

नोट :-

1. स्वशासी महाविद्यालय (Autonomous College) के छात्र-छात्राओं की अंकसूची संबंधित महाविद्यालय द्वारा सत्यापित की जायेगी। स्वशासी महाविद्यालय (Autonomous College) के छात्रों का विश्वविद्यालय से केवल उपाधि प्रमाण-पत्र का सत्यापन होगा।
2. म0प्र0 शासन एवं भारत सरकार द्वारा भेजे गये शैक्षणिक प्रमाण-पत्र का सत्यापन निशुल्क होगा।

कुलसचिव